मुख्य अभियंता का कार्यालय,
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ) लघु जल संसाधन विभाग, पटना,
जल भवन, तृतीय तल, राईडिंग रोड शेखपुरा, पटना–800014

ईमेल– ce.pmg-bih@gov.in दूरभाष–0612–2215035

संचिका सं0:–ल0ज0सं0(पी0एम0जी0)– 51 /पटना, दिनांकः– 11/11/2025

आदेश

निविदा आमंत्रण सूचना सं0–02/2021–22 के ग्रुप सं0–07, लघु सिंचाई प्रमंडल, नालंदा अन्तर्गत बभनडीहा पईन योजना का व्यापक जीर्णोद्धार कार्य की निविदा में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये जाने के कारण संवेदक श्री प्रमोद कुमार, मुहल्ला–बेगमपुर, बरगॉव, पो0+थाना+जिला–नालंदा, पिन कोड–803111 (निबंधन सं0–MWRDO921C2IN2402) को कालीकृत करने हेतु मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, पटना के पत्रांक–368 दिनांक–03.02.2023 द्वारा प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया, जिसके आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक–142 दिनांक–27.02.2023 द्वारा संवेदक से कारण पृच्छा की गयी। कारण पृच्छा का जबाव समर्पित करने हेतु संवेदक द्वारा अपने पत्रांक–शून्य दिनांक–10.03.2023 के माध्यम से कुछ अभिलेखों की मांग की गयी, जिसे इस कार्यालय के पत्रांक–362 दिनांक–27.04.2023 द्वारा उपलब्ध कराते हुये की गयी कारण पृच्छा का जबाव समर्पित करने हेतु संवेदक को निदेशित किया गया। संवेदक के पत्रांक–शून्य दिनांक–23.05.2023 द्वारा पुनः उन्हीं अभिलेखों की मांग की गयी, जिसे इस कार्यालय के पत्रांक–191 दिनांक–10.03.2025 द्वारा संवेदक द्वारा वांछित अभिलेखों की प्रति पुनः भेजते हुये की गयी कारण पृच्छा का जबाव उपलब्ध कराने हेतु पुनः निदेशित किया गया। संवेदक द्वारा समर्पित किये गये जबाव दिनांक–24.03.2025 में यह कहा गया है कि " उनके द्वारा संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र पुरी तरह से सही है, तथा बिहार शरीफ जैसे छोटे शहर के ज्यादातर संवेदक एक ही साइबर कैफे से अपनी–अपनी निविदा अपलोड कराते हैं। अगर उनके अनुभव प्रमाण पत्र में किसी प्रकार की छेड़–छाड़ पायी गयी है तो निश्चित ही उनके प्रतिद्वंदी द्वारा द्वेष की भावना से ऐसा किया गया होगा"। उक्त जबाव के क्रम में मामले के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट करते हुये इस कार्यालय के पत्रांक–791 दिनांक–13.08.2025 द्वारा संवेदक से पुनः कारण पृच्छा की गयी, जिसके क्रम में उनके पत्रांक–शून्य दिनांक–27.08.2025 द्वारा दिये गये जबाव में पूर्व के जबाव की बातें ही दोहरायी गयी है। संवेदक द्वारा रखा गया पक्ष स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वर्णित निविदा में उनके द्वारा संलग्न किया गया अनुभव प्रमाण पत्र कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, बिहार शरीफ से संबंधित है एवं उसमें एकरारनामा सं0–21F2/2016-17 अंकित है, जबकि सत्यापन के क्रम में कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण प्रमंडल, बिहार शरीफ के पत्रांक–665 दिनांक–14.06.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त अनुभव प्रमाण पत्र एकरारनामा सं0–21F2/2016-17 के लिये निर्गत नहीं है। स्पष्ट है कि अनुभव प्रमाण पत्र में फर्जीवाड़ा (छेड़–छाड़) किया गया है। अपलोड की गयी प्रति पर संवेदक का हस्ताक्षर अंकित है, अतः दूसरे द्वारा छेड़–छाड़ किये गये होने की बात स्वीकार नहीं की जा सकती। निविदा में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आपराधिक कृत्य के साथ–साथ निविदा आमंत्रण सूचना सं0–02/2021–22 की कंडिका–22 में निहित शर्त का उल्लंघन भी है।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में वर्णित योजना की निविदा में फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये जाने के कारण संवेदक श्री प्रमोद कुमार, मुहल्ला–बेगमपुर, बरगॉव, पो0+थाना+जिला–नालंदा, पिन कोड–803111 (निबंधन सं0–MWRDO921C2IN2402) को बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली–2007 के नियम 11(क) के उप नियम (vii) एवं पथ निर्माण विभाग,बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक–154 दिनांक–18.06.2015 में निहित प्रावधानों के तहत अगले 10 वर्षों के लिये कालीकृत किया जाता है।

ह0/–
मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना

5.79.

पत्रांक–   /पटना दिनांक–

प्रतिलिपि– संवेदक श्री प्रमोद कुमार, मुहल्ला–बेगमपुर, बरगॉव, पो0+थाना+जिला–नांलदा, पिन कोड–803111 (निबंधन सं0–MWRDO921C2IN2402) को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना

पत्रांक– 1125 /पटना दिनांक– 11/11/2025

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/ लघु जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, पटना/अपर सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, पटना /अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, पटना/सभी मुख्य अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, .../सभी अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई अंचल..../सभी कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल एवं आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, पटना को निदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करना सूनिश्चित करेंगे।

11/11/25

मुख्य अभियंता
(योजना+अनुश्रवण+भूगर्भ),
लघु जल संसाधन विभाग, पटना

11/11/25